

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

कार्यालय आदेश

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना के तृतीय तल अवस्थित उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अधीन संचालित सभाकक्ष के आरक्षण हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 2475 दिनांक 22.05.12 में आंशिक संशोधन करते हुए सभाकक्ष के आरक्षण दर को निम्नरूपेण पुर्ननिर्धारित किया जाता है।

- (क) सरकारी विभाग/सरकारी कॉरपोरेशन/सरकारी सोसाईटी के लिए आरक्षण शुल्क-5000/-रु0 प्रतिदिन
- (2) सभाकक्ष के आरक्षण के लिए अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
- (3) शेष सभी बिन्दु पूर्ववत् प्रभावी रहेगा।
- (4) प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

सचिका सं0 4/उ0 वि0 (स0) विविध-समागार आरक्षण-11/14

प्रतिलिपि :- सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

/पटना, दिनांक-

ह0/-

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 674

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक- 22/02/2017

निदेश है कि इस कार्यालय आदेश को विभागीय वेबसाइट पर डाला जाए।

22/2/17

सरकार के उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।